



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा,
देहरादून

फोन-0135-2641115 फ़ैक्स-2641314, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा सत्रों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टशनों स विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2023

[Draft UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2023] पर
जन-सुनवाई

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(zd) एवं (zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं इसके पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा सत्रों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टशनों स विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2023 जारी किया गया था। उक्त प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) पर उपलब्ध है।
2. उक्त प्रारूप विनियम पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 02.06.2023 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते 'विद्युत नियामक भवन', निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून-248171 पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियां/प्रतिवेदनों पर प्रारूप विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
3. इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा दिनांक 13.06.2023 को 11:00 बजे आयोग कार्यालय में एक जन-सुनवाई भी आहूत की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

सचिव